न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 60/2019
निर्णय दिनांक : 30/3/22

कजोड पुत्र रामसुख गुर्जर
रामपाल पुत्र रामसुख
महेन्द्र कुमार पुत्र रामसुख
हनुमान पुत्र रामकरण
श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री रामकरण
निवासीयान ग्राम ठीकरिया, तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थन पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी के आधार पर पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आराजी कृषी भूमि हाल खाता संख्या 9, खसरा नम्बर 602 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 604 रकबा 0.59 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/4 व प्रार्थी संख्या 4 का हिस्सा 3/4 एवं खाता संख्या 12 खसरा नम्बर 582 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल कित खसरा 2 कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खाता सख्या 26, खसरा नम्बर 582/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 584/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 5 का हिस्सा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजी वाके ग्राम ठिकरिया, उप तहसील बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है तथा प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने दिनांक 11.06.2018 को श्रीमान् उप तहसीलदार बगरू तहसील सांगानेर के आदेश क्रमांक भू.अ. 947–48 दिनांक 25.02.2018 की पालना मे हल्का पटवारी मौके पर पहुंचकर प्रार्थीगण की मौजूदगी में उपरोक्त खसरा नम्बरों का सीमाज्ञान चिन्हीकरण कार्य शान्ति पूर्वक सम्पन्न किया गया तथा मौके पर पडौसी खातेदारान भी उपस्थित थे। उक्त हल्का पटवारी के सीमाज्ञान चिन्हीकरण कार्य से सन्तुष्ट है। प्रार्थीगण द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान पर पडौसी खातेदारान ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारान एवं पडौसी खातेदारान के समक्ष तैयार की गई तथा उपस्थित सभी को पढकर सुनाया गया। लेकिन हल्का पटवारी की हस्ताक्षर करवाने के लिए कहने पर पडौसी खातेदारान ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। प्रार्थीगण शान्तिप्रीय व्यक्ति है वो अपनी खातेदारी भूमि का दिनांक 11.06.2018 को करवाये गये सीमांकन के आधार पर श्रीमान् का आदेश प्राप्त कर सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाकर अपनी आराजी भूमि के चारो तरफ तारबन्दी एवं पत्थरगढी कर सुरक्षा करवाना चाहते है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 व 5 के खसरा नम्बर 582, 582/1, 584, 584/1 का राजस्व रिकार्ड में तो बटा नम्बर डाल दिये गये है तथा पृथक से खाता बना दिया गया लेकिन नक्शा में तरमीम नही की गई। इसलिए उक्त खसरा नम्बरान का मूल खसरा नम्बर व बटा नम्बर के रकबे को जोडकर या तरमीम कर उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान करवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:04:58 IST
Reason: Self Attested

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाता संख्या 9, खसरा नम्बर 602 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 604 रकबा 0.59 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/4 व प्रार्थी संख्या 4 का हिस्सा 3/4 एवं खाता संख्या 12 खसरा नम्बर 582 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल कित खसरा 2 कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खाता सख्या 26, खसरा नम्बर 582/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 584/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 5 का हिस्सा सम्पूर्ण वाके ग्राम ठिकरिया, उप तहसील बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के बाबत उप तहसीलदार बगरू/ तहसील सांगानेर को आदेशित किया जावे कि उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी पुलिस इमदाद लेकर खातेदारों की उपस्थिति में करवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

पत्रावली दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 18.10. 2019 को पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 प्रार्थना पत्र बाबत् पडौसी खातेदारों को पक्षकारा बनाये जाने का पेश किया। पडौसी खातेदारों को नोटिस जारी किये गये। एडवोकेट बी.एम.गुर्जर ने पडौसी खातेदारों की तरफ से वकालतनामा पेश किया। दिनांक 09.03.2022 को पत्रावली पेश हुई, प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित, अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर, अप्रार्थीगण (पडौसी खातेदारों) के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में बहस करने हेतु निवेदन किया।

बहस प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कहा कि उप तहसीलदार बगरू, सांगानेर से प्राप्त सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार उभयपक्षकारान की उपस्थित में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया। हमने बहस प्रार्थीगण पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में ग्राम ठिकरिया, उप तहसील बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 9, खसरा नम्बर 602 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 604 रकबा 0.59 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 12 खसरा नम्बर 582 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल कित 2 कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर में एवं खाता सख्या 26, खसरा नम्बर 582/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 584/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि का उप तहसीलदार बगरू, सांगानेर के सीमाज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट आदेश दिनांक 11.06.2018 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 30/3/22 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:04:58
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर